



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 19-12-2025 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/ शिकायतों को सुना ।

आज दिनांक 19.12.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया गया । जनसुनवाई में कुल 05 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए । जिसमें 01 मारपीट व शेष 04 अन्य से संबंधित थे । प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया ।

◆वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु जनपद के थानों द्वारा अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 14 वारण्टी को गिरफ्तार/अभिरक्षा में लेकर कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर ज़ोन, गोरखपुर के आदेश के क्रम में वाछिंत/पुरस्कार घोषित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन में प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 18/19.12.2025 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा कुल 14 वारण्टी की गिरफ्तारी/अभिरक्षा की गई, जिन्हे नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार वारंटी का विवरण -

- 01.वंशबहादुर पुत्र रामसमुझ साकिन सजनापार थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर वाद संख्या 1195/2016 अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 ।
- 02.सुरेश पुत्र मँहगू साकिन मरचा थाना को० बाँसी जनपद-सिद्धार्थनगर (सम्बन्धित वाद सं०-595/10 धारा 452, 323, 504, 506 IPC)
- 03.चन्द्रभान पुत्र रामऔतार साकिन मरचा थाना को० बाँसी जनपद-सिद्धार्थनगर (सम्बन्धित वाद सं०-595/10 धारा 452, 323, 504, 506 IPC)
- 04.अमरदीप पुत्र परशुराम साकिन पटखौली थाना को० बाँसी जनपद-सिद्धार्थनगर (सम्बन्धित वाद सं०-3777/23 धारा 147, 323, 504, 498A IPC)
- 05.गोपाल पुत्र गंगाराम साकिन रानीलक्ष्मीनगर थाना को० बाँसी जनपद-सिद्धार्थनगर (सम्बन्धित वाद सं०-1503/14 धारा 323, 325 IPC)
- 06.शंकर पुत्र स्व० काशी साकिन बस्तिया थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर वाद संख्या 653/2022 धारा 498ए, 504 भा०द०वि० व ¾ डी०पी० एक्ट ।
- 07.राजेश उर्फ चिनके विश्वकर्मा पुत्र नीबर निवासी भानपुर मस्जिदिया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर वाद सं० 03/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ।
- 08.रामप्यारी पत्नी स्व० मेवालाल निवासी बिस्कोहर बाजार थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर वाद संख्या- 546/2021 धारा 135 वि० अधि० ।

09. सुल्कारू उर्फ पप्पू निवासी जम्हिरिया टोला हड़हवा थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर। (सम्बन्धित वाद सं०-1708/10 धारा 323,324,504,506,427 भादवि)
10. बाबूलाल पुत्र बनवारी निवासी जम्हिरिया टोला हड़हवा थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर। (सम्बन्धित वाद सं०-1708/10 धारा 323,324,504,506,427 भादवि)
11. रामफल पुत्र भोनू निवासी जम्हिरिया टोला हड़हवा थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर। (सम्बन्धित वाद सं०-1708/10 धारा 323,324,504,506,427 भादवि)
12. शहाबुद्दीन पुत्र हैसियत निवासी गनवरिया थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।
13. जुबैदा खातुन पत्नी शहाबुद्दीन निवासी गनवरिया थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर। वाद संख्या 399/2014 मु०अ०सं० 03/2013 धारा 323,504,506 भा.द.वि
14. संजय पुत्र पूननवासी साकिन सोनौलीनानकार थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर वाद सं० 7079/2025 मु०अ०सं० 31/25 धारा 85/115(2)/351(3) बीएनएस व ¾ D/P Act

◆साइबर सेल थाना ढेबरुआ व जनपदीय साइबर सेल पुलिस के सहयोग से थानाक्षेत्र ढेबरुआ के शिकायतकर्ता के खाते से ऑनलाइन फ्राड किये गये कुल धनराशि ₹7997/- को वापस कराया गया ।

डॉ. अभीषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण, मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में नरायन लाल श्रीवास्तव थानाध्यक्ष ढेबरुआ व साइबर क्राइम टीम द्वारा आनलाइन फ्राड का शिकार हुए श्री शुभ अग्रवाल पुत्र अनूप कुमार अग्रवाल निवासी करबा बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से दिनांक 17.12.2025 को अज्ञात कारणों से कुल ₹7997/- का फ्राड हो गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पूर्ण धनराशि ₹7997/- शिकायत कर्ता के खाते में वापस कराये गये । थाना ढेबरुआ व साइबर टीम पुलिस के इस सराहनीय कार्य के लिए आवेदक द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष नरायन लाल श्रीवास्तव थानाध्यक्ष ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- उ0नि0 राजाराम यादव साइबर प्रभारी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- क0ऑ0 मोहित कुमार पुण्डीर थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- का0 विनय यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 5- हे0का0 अतुल चौबे साइबर थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 6- का0 विशाल तिवारी साइबर थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना कठेला समय माता में मिशन शक्ति फेज 5.0/“नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान 2.0” के तहत ग्राम अगरदीडीह में महिलाओ/पुरुषो व वयस्क बालक/बालकिओं को जन चौपाल लगाकर जागरूक किया गया।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "महिला सशक्तिकरण ,एंटी रोमियो व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहतगढ़ के कुशल निर्देशन व अभय सिंह थानाध्यक्ष कठेला समयमाता के नेतृत्व में आज दिनांक 19.12.2025 को थाना कठेला समयमाता मिशन शक्ति केन्द्र टीम का० सुरेश सिंह, म०का० करिश्मा द्वारा “नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान 2.0” मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत उदघोष नारी सुरक्षा, नारी सम्मान ,नारी स्वावलंबन के तहत ग्राम अगरदीडीह में चौपाल लगाकर बालिकाओं/महिलाओं को उनकी सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को बहुत ही उपयोगी बताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारे आत्म विश्वास को मजबूत करते हैं तथा हमे अपने जीवन में मजबूती के साथ सशक्त एवं निडर होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सार्वजनिक स्थलो जैसे चौराहो, बाजारो, कोचिंग संस्थान आदि को असमाजिक तत्वो व शोहदों/मनचलों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ रह चलते छेड़खानी/अभ्रदत्ता/अश्लील प्रदर्शन व टिप्पणिओ कि घटना से बचने हेतु सभी को शासन द्वारा जारी महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन जैसे 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन, यू०पी० 112 पुलिस सहायता हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड केयर हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन, 102 एम्बुलेंस सेवा (गर्भवती महिलाओं के लिए), 101 अग्निशमन हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन से सम्बन्धित सेवाओं व बृहद स्तर पर चलाये जा रहा “नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता अभियान 2.0” सम्बन्धी अभियान के तहत शून्य एफआईआर’ (Zero FIR) की अवधारणा, E-FIR, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्राविधान, नये अपराध, प्रौद्योगिकी एवं फॉरेंसिक विज्ञान के उपयोग से जुड़े प्राविधान तथा पीड़ित-केंद्रित प्राविधानों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया एवं हेल्पलाइन व सरकारी योजनाओं से संबंधित पैम्फलेट भी वितरित किए गये।

◆महिला थाना मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो व शक्ति दीदी अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा के क्रम में थानाक्षेत्र सिद्धार्थनगर के ग्राम साड़ी की महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया व हेल्पलाइन नम्बरो के बारे में जानकारी दी गयी तथा एण्टी रोमियो के तहत मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी।

डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व विशजीत सौर्यान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19/12/2025 को भाग्यवती पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थानाक्षेत्र सिद्धार्थनगर के ग्राम साड़ी की महिलाओं/बालिकाओं को जो थाने तक नहीं आ सकती हैं को महिला सुरक्षा व साइबर जागरूकता अभियान व विडियो दिखा कर जागरूक किया गया तथा खुद के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे में जानकारी दी गयी तथा मिशन शक्ति 5.0 स्टीकर भी चस्पा किया गया तथा एण्टी रोमियो के तहत मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी। मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति फेज 5.0 के विषय में महिलाओं को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चार्डल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति टीम-

01.उनि0 रामनारायण शुक्ला महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर।

02.म0का0 हसीना खातून थाना जनपद सिद्धार्थनगर।

03.म0का0 शिवानी सिंह महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर।

04.पी0आर0डी तारा देवी, सोनी महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना जोगिया उदयपुर मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्रम में मिशन शक्ति केंद्र स्थापना के उपरांत नारी सुरक्षा एवं स्वालंबन बहू बेटी सम्मेलन के तहत थाना क्षेत्र जोगिया उदयपुर के ग्राम कोयड़ा में बालिकाओं/महिलाओं को महिला के प्रति होने वाले अपराध, आत्मनिर्भर, हेल्पलाइन नम्बर आदि के बारे में पम्पलेट वितरित कर जानकारी देकर जागरूक किया गया ।

डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व रोहिणी यादव क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19/12/2025 थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर मीरा चौहान मय मिशन शक्ति टीम के नेतृत्व में थाना क्षेत्र जोगिया उदयपुर के ग्राम कोयड़ा में बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया तथा खुद के साथ होने वाले अपराध से बचने के बारे में जानकारी दी गयी दहेज उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट महिला संबन्धित मुकदमों में पीड़िताओं की काउंसलिंग की गई तथा मिशन शक्ति 5.0 स्टीकर भी चस्पा किया गया । मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज कर सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा मिशन शक्ति फेज 5.0 के विषय में महिलाओं को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चार्टर्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गई ।

थाना जोगिया उदयपुर मिशन शक्ति टीम का विवरण-

1. उ०नि० आनन्द शाही थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2.का० प्रदीप उपाध्याय थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3.म०का० पूजा यादव थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4.म०का० स्वेता यादव थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 19.12.2025 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान के संबन्ध में कस्तुरबा विद्यालय के बच्चे व प्रबन्धक, डीसी बालिका (बीएसए ऑफिस), डीपीओ ऑफिस टीम, एमएसईएमवीएस टीम के साथ पुलिस लाइन सभागार में गोष्ठी का आयोजन गया ।

आज दिनांक 19.12.2025 को डॉ. अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत डीसी बालिका(बीएसए ऑफिस), डीपीओ ऑफिस टीम, एमएसईएमवीएस टीम, , कस्तुरबा विद्यालय के बच्चे व प्रबन्धक के साथ पुलिस लाइन सभागार में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया । गोष्ठी का उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने हेतु समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक करना एवं अभियान को सफल बनाना रहा । गोष्ठी को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में बाधक है तथा यह कानूनन अपराध है । उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है । उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहकर बाल विवाह की किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें । इस अवसर पर महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों, शिक्षा के महत्व तथा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर भी विस्तार से चर्चा की गई । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आमजन से अपील की गई कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी प्राप्त हो तो तत्काल पुलिस अथवा संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके । इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर (आईपीएस), प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

◆ नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को थाना कठेला समय माता पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व मंयक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी शोहतगढ़ के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष थाना कठेला समय माता अभय सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 19.12.2025 को थाना कठेला समय माता पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-148/25 धारा 137(2)/87/65(1)/352/351(3) बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त इजहार पुत्र नूर मोहम्मद निवासी सौरहवा ग्रान्ट टोला धुन्नीजोत थाना कठेला समय माता जनपद सि0नगर को पण्डित डीहवा मोड़ कठेला गर्वी से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. इजहार पुत्र नूर मोहम्मद निवासी सौरहवा ग्रान्ट टोला धुन्नीजोत थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 आनन्द कुमार थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर।

02. हे0का0 विनित शुक्ला थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर।

03. का0 विशाल पासवान थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर।

04. का0 अभय यादव थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर।

आवेदिका के खाते से AEPS के माध्यम से हुए साइबर फ्रॉड की सम्पूर्ण धनराशि ₹ 39,000/- को थाना त्रिलोकपुर साइबर सेल द्वारा वापस कराया गया।

आवेदिका पूनम पत्नी मनबहाल निवासी ग्राम झुडीया थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराया गया कि आवेदिका के खाता संख्या 75060820797 से AEPS के माध्यम से दिनांक 28.06.2025 , 30.06.2025 , 01.07.2025 व 02.07.2025 को क्रमशः 10000/- , 10000/- , 5000/- , 8000/- व 6000/- कुल 39000/- रुपए का फ्रॉड हुआ है। डॉ० अभिषेक कुमार महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा साइबर जागरूकता अभियान व साइबर अपराध की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व बृजेश कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण में थाना त्रिलोकपुर मय साइबर सेल द्वारा ग्रामीण बैंक महादेव घुरहू से समन्वय स्थापित कर फ्राड हुए कुल धनराशि ₹ 39,000/- को आवेदिका के खाते में वापस कराया गया।

सहायनीय कार्य करने वाली टीम का विवरण-

1. चन्द्रकान्त पाण्डेय थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
2. उ०नि० शिवाकान्त राय थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
3. उ०नि० शिव नारायण सिंह थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
4. का० जुनेद अहमद थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
5. म०का० प्रीती थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना पथरा बाजार तथा थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों/सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध चलाया गया चेकिंग अभियान ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 19/12/2025 को थाना पथरा बाजार तथा थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की चेकिंग की गई । चेकिंग के दौरान मन्दिर-मस्जिद व सार्वजनिक स्थानों पर मानक के विपरीत पाये गये लाउडस्पीकर आपसी सहमति से हटवाये गये तथा मानक के अंतर्गत ही लाउडस्पीकर लगवाने की हिदायत दिया गया व मानक से अधिक तेजी से बज रहे लाउडस्पीकर की आवाज को कम कराया गया तथा आवाज मानक के अनुरूप रखने हेतु निर्देशित किया गया ।